

पत्रांक-14/एम7-125/2014(अंश-III)

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

के० सेंथिल कुमार

सरकार के अपर सचिव

सेवा में,

कुलसचिव,

बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा

फैक्स/ईमेल
स्पीड पोस्ट

पटना, दिनांक '2015

विषय:- माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस०एल०पी०(सिविल) संख्या-12591/2010 कृष्णानन्द यादव एवं अन्य बनाम मगध विश्वविद्यालय एवं अन्य में पारित न्यायादेश के आलोक में गठित माननीय न्यायमूर्ति श्री एस०बी० सिन्हा आयोग द्वारा विभिन्न तिथियों को पारित न्यायादेश के आलोक में आर० एल० कॉलेज, माधव नगर, पूर्णिया के स्तर पर वेतनादि भुगतान के आधार पर शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मियों के संदर्भ में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय पत्रांक-1227 दिनांक 17.08.2015 तथा स्मार पत्रांक-1275 दिनांक 24.08.2015 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए निदेशानुसार कहना है कि वांछित प्रतिवेदन विभाग को अभी तक अप्राप्त है । अंकनीय है कि उक्त विभागीय पत्र के द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एस०एल०पी०(सिविल) संख्या-12591/2010 में पारित न्यायादेश के आलोक में गठित माननीय न्यायमूर्ति श्री एस०बी० सिन्हा आयोग द्वारा सुनवाई के क्रम में विभिन्न तिथियों को पारित आदेश के आलोक में विषयाधीन आयोग के समक्ष सेवा सामंजन का दावा करने वाले संलग्न सूची में अंकित शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मियों के संदर्भ में वेतन भुगतान संबंधी रजिस्टर (Acquittance Roll) के आधार पर महाविद्यालय के अंगीभूतिकरण की तिथि से पूर्व एवं अंगीभूतिकरण की तिथि से वेतनादि भुगतान की निरंतरता, इससे संबंधित बैंक एडभाईस, प्रथम वेतन भुगतान हेतु विश्वविद्यालय द्वारा निर्गत शिक्षक/ शिक्षकेतर कर्मियों की अधिसूचना, समय-समय पर विश्वविद्यालय द्वारा वेतन भुगतान से संबंधित पारित आदेश के आधार पर एक प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया था, परन्तु वांछित प्रतिवेदन अभी तक अप्राप्त है ।

आप अवगत है कि आयोग के समक्ष कई फर्जी कागजात के आधार पर दावा किये गये मामले प्रकाश में आये है । वर्णित स्थिति में सेवा सामंजन हेतु दावा करने वाले प्रत्येक शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के प्रथम एवं अंतिम वेतन भुगतान के आधार पर सेवा सामंजन की स्थिति में अन्तर वेतन के रूप में पड़ने वाले

वित्तीय भार की राशि से संबंधित प्रमाणिक कागजात/ अभिलेख को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि भविष्य में अंकेक्षण के समय उनके द्वारा किये जा रहे दावे की पुष्टि हो सके ।

वर्णित तथ्यों के आलोक में मामले की संवेदनशीलता एवं गंभीरता को देखते हुए इसे अत्यावश्यक मानते हुए पत्र प्राप्ति के तीन दिनों के अन्दर वांछित प्रतिवेदन तथा इससे संबंधित अभिलेख एवं कागजात सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध कराने हेतु आवश्यक कारवाई किये जाने की कृपा की जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन,

ह0/-

(के० सेंथिल कुमार)

सरकार के अपर सचिव

पटना, दिनांक 28/9/2015

ज्ञापांक-14/एम7-125/2014(अंश-III).....15.57

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, पटना / कुलपति, बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा/ प्रधानाचार्य, आर०एल० कॉलेज, माधवरनगर, पूर्णिया/ आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(के० सेंथिल कुमार)

सरकार के अपर सचिव